प्रेस नोट रामचन्द्र मिशन
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनाँक – 18.06.2026

थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित 02 चोर/अभियुक्त को चोरी के माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.06.2026 को वादी श्री सर्वेश सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, अधिन्यास प्रबन्धक, आई.एस.जी.एस. इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, रोजा पावर प्लांट शाहजहाँपुर द्वारा थाना पर दी गई लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण अंकित वर्मा पुत्र शिवपाल वर्मा आदि 03 नफर द्वारा रोजा पावर प्लांट परिसर से मोटर पुली, टाई रॉड, एक्सटेंशन स्विच बोर्ड, ग्लैण्ड हाउसिंग, बटरफ्लाई वाल्व, बाल्टी में रखे पीस बोल्ट तथा डिस्चार्ज टूल पीस चोरी कर लेने के संबंध में मु0अ0सं0 120/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 303(2) बीएनएस को संशोधित कर धारा 305 बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण/चोरों की तलाश के क्रम में आज दिनांक 18.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गुवांरी टावर से लगभग 50 कदम पहले ओवरब्रिज के पास से समय 00:25 बजे अभियुक्त अंकित पुत्र शिवपाल निवासी ग्राम गुवांरी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अंकित के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर अनुभव पुत्र अवनीश निवासी ग्राम चौढेरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया, जिसे दिनांक 18.06.2026 को समय 06:20 बजे उसके मकान/कबाड़ी की दुकान से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अंकित पुत्र शिवपाल नि0 ग्राम गुवांरी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष
2. अनुभव पुत्र अवनीश निवासी ग्राम चौढेरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 120/26 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समयः-

अभियुक्त अंकित- गुवांरी टावर से करीब 50 कदम पहले ओवर ब्रिज के पास से, दिनांक 18.06.26, समय 00.25 बजे
अभियुक्त अनुभव- अभियुक्त के मसकन/दुकान ग्राम चौढेरा, दिनांक 18.06.26,समय 06.20 बजे

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त अंकित से- एक अदद वॉल्व 250 mm, हैन्डल
अभियुक्त अनुभव से- डब्लू0ई0आर0 प्लेट, पुली वेल्ट (वी) टाईप

अभियुक्त अंकित से पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त अंकित ने पूछने पर बताया कि दिनांक 15.06.26 की रात्रि को मैने अपने साथी पारस वर्मा व अनिकेत के साथ मिलकर रिलांयस पावर टाउनशिप मे दीवार कूदकर डी पम्प हाउस से कुछ मशीनरी के पुर्जे व अन्य लोहे का सामान चोरी कर लिया था। चोरी किये हुए सामान को हम तीनो ने बांट लिया था। मेरे हिस्से मे जो मशीनरी के पुर्जे आये थे वह मैने कबाडी अनुभव पुत्र अवनीश की दुकान पर बेच दिये थे। बिक्री के मुझे 1500 रु0 मिले थे जो मैने खर्च कर दिया।

अभियुक्त अनुभव से पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त अनुभव ने पूछने पर बताया कि मेरी कबाड़ी की दुकान है। मैं लोगों से कबाड़ खरीदता हूँ। गाँव के रहने वाले पारस वर्मा पुत्र देवी दयाल वर्मा, अंकित वर्मा पुत्र शिवपाल वर्मा, अनिकेत वर्मा पुत्र रामप्रकाश वर्मा मेरी दुकान पर कुछ मशीरी के पुर्जे बिक्री करने के लिए आये थे। जिसे मैंने पैसे देकर खरीद लिया था। मुझे अब पता चला है कि वह सामान रिलायंस पावर टाउनशिप रोजा से चोरी किया हुआ था, मेरी दुकान से जो मशीनरी के पुर्जे मिले हैं, वह इन्हीं लोगों ने मुझे बेंचा गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 कैलाश चन्द्र थना रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर
2. का0 संदीप कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 लवकुश शर्मा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
4. रि0का0 आकाश कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
5. रि0 का0 संजीव कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर